दी नागपुर इलेक्ट्रिक लाईट एवं पावर कम्पनी लिमिटेड और अन्य

बनाम

के. श्रीपथीराव 11 अप्रेल 1958

(मुख्य न्यायाधिपति एस.आर. दास एवं न्यायाधिपतिगण वेंकटरामा अय्यर, एस.के दास, गजेन्द्रगडकर और विवियन बोस)

सेवा की समाप्ति - कम्पनी कर्मचारी- स्थाई आदेश - निर्माण - कर्मचारी और कर्मकार - विभेद–

उत्तरदाता, अपीलार्थी कम्पनी का एक कर्मचारी था जिसकी सेवाएं कम्पनी ने स्थाई आदेशों के अनुसार समाप्त कर दी थी, जिसे औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश)अधिनियम, 1946 तथा केंद्रीय प्रांतों के प्रावधानों और बरार औद्योगिक विवाद निपटान अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उपयुक्त अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया था। स्थाई आदेश 2 (क) में कर्मचारीगण को कम्पनी के कार्यकाल या मुख्य विभाग या स्टॉर या पॉवर हाउस या रिसीविंग स्टेशन मे कार्यरत ''सभी व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके नाम और टिकट नम्बर विभागीय मस्टर में शामिल है। स्थाई आदेश में ''कर्मकार'' शब्द को भी परिभाषित किया गया है कि प्रत्येक कर्मकार के पास एक टिकट होना चाहिए। कम्पनी द्वारा उत्तरदाता को कोई टिकट जारी नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप

उसका टिकट नम्बर विभागीय मस्टर में भी शामिल नहीं किया गया। उत्तरदाता ने संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करके अपनी सेवाएं समाप्त करने के आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी की, विचाराधीन स्थाई आदेश उन कर्मचारियों तक ही सीमित था, जिन्हें टिकट जारी किये गये थे। चूंकि उसे कोई टिकट जारी नहीं किया गया था। इसलिए वह स्थाई आदेश के अनुसार कर्मचारी नहीं था और स्थाई आदेश उस पर लागू नहीं होता है। परिणामस्वरूप स्थाई आदेश संख्या 16 (1) के तहत उसकी सेवाओं की समाप्ति अवैध है।

अवधारित किया, (1) की शब्द '' जिनके नाम और टिकट संख्या विभागीय मस्टर में शामिल है '' जो कि स्थाई आदेश संख्या 2(क) को इस तरह पढा जाना चाहिए '' जिनका नाम और टिकट नम्बर, यदि कोई हो, विभागीय मस्टर में शामिल है।

कॉर्टिस बनाम द केन्ट वॉटर वर्कस कम्पनी, (1827) 7 बी एवं सी 314 ; 108 ई. आर. 741 एवं पैरूमल गौडंन बनाम दी तिरूमलारायपुरम जनानुकूला धनशेखर संघ निधि, (1918) आई. एल. आर. 41 मद्रास 624, लागू किया।

(2) स्थाई आदेश के तहत जिसमें कर्मचारियों एवं कर्मकारों के बीच विभेद किया गया है। जबकी प्रत्येक कर्मकार के ''पास टिकट होना चाहिए। लेकिन

कुछ ऐसे कर्मचारी भी हो सकते है जिनके पास टिकट नहीं है, कर्मचारी के पास टिकट होना एक आवश्यक विशेषता नहीं है;एवं,

(3) यह स्थाई आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होते है। जिनके लाभ के लिए वे बनाये गये है।

तदनुसार, स्थाई आदेश उत्तरदाता पर लागू होते थे और स्थाई आदेश संख्या 16 (1) के अनुसार उसकी सेवा की समाप्ति वैध थी और इसलिए उसके द्वारा उच्च न्यायालय में किया गया आवेदन विफल होना चाहिए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5/1958

1956 के लेटर पेंटेट अपील संख्या 66 में नागपुर उच्च न्यायालय के 26 सितम्बर 1956 के फैसले और आदेश के विरूद्ध पूर्व में विशेष अनुमति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है जो कि 1956 की विविध याचिका संख्या 6 में उक्त उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14 अप्रेल 1956 के निर्णय से उत्पन्न हुई है।

एम.सी. सितलवाड, भारत के अटॉर्नी-जनरल, बी. सेन, डी.बी. पाध्या एवं आई.एन. श्रॉफ अपीलार्थीयों की ओर से।

आर.वी.एस. मणी, उत्तरदाता की ओर से।

11 अप्रेल 1958 न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस.के. दास द्वारा सुनाया गया।

न्यायाधिपति एस.के. दास- यह अपील विशेष अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है। हमारे समक्ष अपीलार्थीगण दी नागपुर ईलेक्ट्रिक लाईट एण्ड पॉवर कम्पनी लिमिटेड (जिसको बाद में कम्पनी के रूप में सदर्भित किया जायेगा), के प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक है। यह कम्पनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश के नागपुर में है। उत्तरदाता, श्रीपथीराव जुलाई 1936 में 30 रूपये प्रतिमाह के वेतन पर टाईपिस्ट के रूप में कम्पनी की सेवा में शामिल हुआ। उसकी रैंक में समय समय पर वृद्धि होती गई और

1947 में वह रूपये 120-10-225 के ग्रेड पर उप मुख्य लिपिक के रूप में कम्पनी में नियुक्त हुआ। 1952 में उसे 245 रूपये प्रतिमाह का मूल वेतन मिलता रहा। 28 नवम्बर 1955 को उत्तरदाता से ''उच्च दाब उपभोक्ता कहे जाने वाले बिजली के उपभोक्ताओं को कुछ बिल जारी करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके पीछे कुछ ''उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए नोट मुद्रित नहीं थे। उत्तरदाता ने अगले दिन अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति उसने कम्पनी के निदेशको में से एक को भेजी। 2 दिसम्बर 1955 को उत्तरदाता को फिर से यह बताने के लिए कहां गया कि उसने अपने स्पष्टीकरण की एक प्रति निदेशकों में से एक निदेशक को क्यों भेजी। उत्तरदाता ने इस मामले के सम्बन्ध में भी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उसी दिनांक को उत्तरदाता से फिर से यह बताने के लिए कहां गया कि कम्पनी के उपभोक्ता विभाग से सम्बन्धित 1954 के खातो में कुछ ''

दोहरा समायोजन '' कैसे ओर क्यो किया गया, आरोप यह था कि 1,05,894-7-7 रूपये जो मध्य रेलवे के बिलो की राशि को दर्शाता है, खातों में से दुबारा कैसे काटी गई। उत्तरदाता ने 3 दिसम्बर 1955 को एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें उसने कहां कि आरोप अस्पष्ट है और 1949 के बाद वह उपभोक्ता विभाग के खातों के सारांश ओर वार्षिक विवरण तैयार करने में किसी भी तरह से सम्मिलित नहीं था। 5 दिसम्बर 1955 को उत्तरदाता के खिलाफ निलंबन का आदेश दिया गया जिसमें कहा गया था कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी आदेश तक लागू रहेगा, जब तक उत्तरदाता के खिलाफ जांच लंबित रहती है। दो दिन बाद 7 दिसम्बर 1955 को, उत्तरदाता को 31 जनवरी 1956 से उसकी सेवाएं समाप्त करने का एक ज्ञापन दिया गया। जहां तक प्रासंगिक है, ज्ञापन में कहा गया कि

> ''हम आपको स्थायी आदेश 16(1) के तहत नोटिस देते है कि आपकी सेवाएं 31 जनवरी 1956 से समाप्त हो जाएंगी। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक इस बात से संतुष्ट थे कि उत्तरदाता की सेवाओं को समाप्त करने के कारणों का खुलासा करना कम्पनी के व्यवसाय के हित में नहीं है।''

19 दिसम्बर 1955 को, उत्तरदाता की ओर से कम्पनी को एक नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया कि 5 दिसम्बर, 1955 को निलंबन का आदेश और

7 दिसम्बर, 1955 को समाप्ति का आदेश अवैध और अधिकारातीत था और उक्त आदेशों को वापस लेने और उत्तरदाता को 24 घंटे के भीतर बहाल करने का अनुरोध किया गया, ऐसा न करने पर उत्तरदाता के द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 26 दिसम्बर, 1955 को, कम्पनी ने आरोपों से इनकार करते हुए नोटिस का जवाब भेजा, और कम्पनी ने आगे कहा कि उसे पारित आदेशों की औचित्यता के संबंध में उत्तरदाता के साथ चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं है

2 जनवरी 1956 को उत्तरदाता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें उसने 5 दिसम्बर 1955 को निलंबन के आदेश और 7 दिसम्बर 1955 को सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की एवं कुछ अन्य राहते भी मांगी। इस याचिका पर वर्तमान अपीलार्थीयों द्वारा उठाई गई कुछ प्रारम्भिक आपत्तियों पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई और 14 अप्रेल 1956 के एक आदेश द्वारा उन्होंने प्रारम्भिक आपत्तियों को यथावत् रखा तथा याचिका खारिज कर दी। जो प्रारम्भिक आपत्तियाँ ली गई थी वो यह थी:- यह आग्रह किया गया था कि उत्तरदाता की सेवा कम्पनी के स्थाई आदेशानुसार समाप्त कर दी गई थी, जिसे औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 (1946 का 20) जिसके पश्चात इसे केन्द्रीय अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जायेगा तथा केन्द्रीय प्रान्त तथा बरार औद्योगिक विवाद निपटारा

अधिनियम 1947 (सी.पी. और बरार अधिनियम 1947 का 23) इसके पश्चात् इन अधिनियमों को स्थानीय अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जायेगा, के प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारियों द्वारा समाप्त किया गया था। तथा यदि उत्तरदाता को उक्त स्थाई आदेशों के विरूद्ध कोई शिकायत थी, तो उसका एक मात्र समाधान सम्बन्धित अधिनियम के अनुसार स्थाई आदेशों में संशोधन करना था, लेकिन उत्तरदाता के पास संविधान के अनुच्छेद 226 में उसके विरूद्ध पारित आदेशों को रद्द करने व उसकी बहाली के लिए उच्च न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं था, इत्यादि। वैकल्पिक रूप से यह आग्रह किया गया कि यदि उत्तरदाता के मामले में स्थाई आदेश लागू नहीं होते थे, जैसा की उत्तरदाता के मामले में था, तो स्वामी और सेवक का साधारण कानून लागू होता है तथा उत्तरदाता के पास एक मात्र उपचार यह था की वह गलत तरीके से सेवा समाप्ति के लिए कम्पनी पर क्षतिपूर्ति का वाद दर्ज करें। इन प्रारम्भिक आपत्तियों पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया गया कि (1) उत्तरदाता स्थाई आदेशो के अन्तर्गत कर्मचारी नहीं था तथा इसलिए उसका मामला स्थाई आदेशो द्वारा शासित नहीं होता था। (2) अपीलकर्ताओं और उत्तरदाता के बीच सम्बन्ध संविदात्मक था और वैद्यानिक नहीं था तथा उत्तरदाता के पास केवल यह उपचार था कि वह गलत तरीके से सेवा समाप्ति के लिए कम्पनी पर क्षतिपूर्ति का वाद दर्ज करें (3) जहां तक स्थाई आदेशों में संशोधन का प्रश्न है कि उत्तरदाता व उसकी श्रेणी के व्यक्तियों को शामिल किया जा सके

तो, उत्तरदाता के पास एक मात्र उपचार इस मामले में आगे बढने के लिए एक मान्यता प्राप्त संघ से सम्पर्क करके सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करना था।

उत्तरदाता की याचिका खारिज होने पर, उसने लेटर पेटेंट के क्लॉज 10 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत की। इस अपील पर एक खण्डपीठ ने 26 सितम्बर 1956 को सुनवाई की तथा अपील इन निष्कर्षो के साथ स्वीकार की - (1) स्थाई आदेश उत्तरदाता पर लागू नहीं होते क्योंकि वह स्थानीय अधिनियम की धारा 2(1) में कर्मचारी था। (2) उत्तरदाता की सेवा की शर्ते स्थानीय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होती है और इसके उल्लंघन पर उत्तरदाता को उचित आदेश के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार था; तथा (3) चूंकि उत्तरदाता की सेवा की समाप्ति सांविधिक प्राधिकार के बिना थी, इसलिए इसे रद्द करना चाहिए। खण्डपीठ ने तदनुसार अपील स्वीकार कर निलम्बन ओर सेवा की समाप्ति के आदेशों को रद्द कर दिया ओर यह निर्देशित किया कि उत्तरदाता उन शर्तो पर कम्पनी का कर्मचारी बना रहेगा जो उसके निलम्बन तारीख, अर्थात् 5 दिसम्बर 1955 को उस पर प्रवृत थी। कम्पनी को यह भी निर्देशित किया कि कम्पनी उत्तरदाता को पिछले वेतन का भुगतान करें।

इसके पश्चात् अपीलार्थीयों ने इस न्यायालय का रूख किया ओर खण्डपीठ के 26 सितम्बर 1956 के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विशेष

अनुमति प्राप्त की। वर्तमान अपील, अपीलार्थीयों को विशेष अनुमति देने के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत की गई।

इस अपील में निर्णय के लिए प्रथम ओर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या स्थाई आदेश उत्तरदाता पर लागू होते है। हम पूर्व में निर्धारित कर चुके है - तथा यह निर्विवादित है कि - स्थाई आदेशों को केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रमाणक अधिकारी द्वारा तथा धारा 30 स्थानीय अधिनियम में श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया गया था। यहां उक्त दोनों अधिनियमों के प्रावधानों की सामान्य योजना की व्याख्या करना आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत स्थाई आदेशों को स्वीकृत किया गया। केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत " स्थाई आदेश " का अर्थ अनुसूची में निर्धारित मामलों से सम्बन्धित नियम है तथा धारा 3 के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय अधिनियम किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होने की तारीख से, कर्मचारी 6 माह के भीतर औद्योगिक प्रतिष्ठान को अपनाने के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित स्थाई आदेशों की 5 प्रतियां प्रमाणक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

धारा 3 की उप धारा 2 में यह निधार्रित किया गया है कि अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक मामले के लिए ऐसे प्रारूप में प्रावधान किया जाएगा जो औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू हो सकता है तथा जहां मा ॅडल स्थायी आदेश निर्धारित किए गए हैं, यहां तक व्यावहारिक रूप से प्रारूप ऐसे मा ॅडल के

अनुरूप होगा। अनुसूची उन मामलों को संदर्भित करती है जो उसे स्थाई आदेशों द्वारा प्रदान किये गये है, ओर अनुसूची की मद संख्या 8 " रोजगार की समाप्ति तथा कर्मचारी ओर कर्मकार द्वारा दिये जाने वाले नोटिस से सम्बन्धित है।" हम यह निर्धारित कर सकते है कि केन्द्रीय अधिनियम में " कर्मकार " की परिभाषा सम्मिलित है जो इस मामले में भौतिक समय में , अर्थात किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कुशल या अकुशल, मेनूअल या लिपिकीय, किराये या ईनाम के लिए श्रम करने वाला कोई व्यक्ति था, लेकिन इसमें सशस्त्र बलो का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 4 से 10:- (क) स्थाई आदेशों के प्रमाणन की शर्तें (ख) स्थाई आदेशों का प्रमाणिकरण (ग) अपीले (घ) स्थाई आदेशों के संचालन की तारीख (ङ) स्थाई आदेशों का रजिस्टर (च) स्थाई आदेशों की प्रविष्टि ओर (छ) स्थाई आदेशों की अवधि ओर संशोधन से संबंधित है। स्थानीय अधिनियम के अध्याय 4 में समान प्रावधान है जो कि स्थाई आदेशों से संबंधित है। स्थानीय अधिनियम की धारा 30 की उप धारा (1) में यह कहां गया है कि:-

> "प्रत्येक नियोक्ता, किसी भी उद्योग के सम्बन्ध मे, जिस पर इस अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (3) के अन्तर्गत लागू किया गया है, अनुसूची 1 में उल्लेखित सभी औद्योगिक मामलों के सम्बन्ध में उसके तथा उसके कर्मचारियों के बीच संबंधों से संबंधित स्थाई आदेशों की एक प्रति ऐसी

अधिसूचना के 2 माह के भीतर, श्रम आयुक्त को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगा।''

स्थानीय अधिनियम की अनुसूची 1 की मद संख्या 8 फिर से '' रोजगार की समाप्ति, का नोटिस नियोक्ता तथा कर्मचारी द्वारा दिया जाना चाहिए।'' धारा 30 की अन्य उप धाराएं श्रम आयुक्त द्वारा स्थाई आदेशों के अनुमोदन, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपील इत्यादि के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। धारा 31 ओर 32 नियोक्ता के कहने पर या कर्मचारी के प्रतिनिधि के कहने पर स्थाई आदेशों में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह ध्यान देने योग्य हैं कि धारा 30 की उप. धारा (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अनुसूची 1 में उल्लिखित सभी औद्योगिक मामलों के संबंध में उसके और उसके कर्मचारियों के बीच संबंधों से संबंधित स्थायी आदेशों की एक प्रति श्रम आयुक्त को प्रस्तुत करनी होगी

स्थानीय अधिनियम ''कर्मचारी' शब्द को परिभाषित करता है और, प्रासंगिक समय में, इसका मतलब किसी भी उद्योग में अनुबंध या किराए या इनाम के लिए किसी भी कुशल या अकुशल, मैनुअल या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्थानीय अधिनियम में ''कर्मचारी' की परिभाषा कमोबेश केंद्रीय अधिनियम के अन्तर्गत ''कर्मकार'' की परिभाषा से मेल खाती है। दोनों अधिनियमों में दो अभिव्यक्तियों की परिभाषा में कुछ

मामूली अंतर हैं, लेकिन उन मतभेदों से हम वर्तमान मामले में सम्बद्ध नहीं हैं।

वर्तमान मामले में हम जिन स्थायी आदेशों से सम्बद्ध हैं, वे 14 नवंबर, 1951 को लागू हुए और इस स्तर पर प्रासंगिक स्थायी आदेशों को संदर्भित करना सुविधाजनक है। स्थायी आदेश क्रमांक. 2 स्थायी आदेशों में प्रयुक्त कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया कि -

''इन आदेशों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न होः-

(अ) ''कर्मचारी'' का अर्थ कंपनी के कार्यालय या मुख्य विभाग या स्टोर या पावर हाउस या रिसीविंग स्टेशन, नागपुर या वर्धा में कार्यरत सभी व्यक्ति, पुरुष या महिला, जिनके नाम और टिकट नंबर विभागीय मस्टर में शामिल हैं।

(ब) ''प्रबंधक'' का अर्थ उस पद पर नियुक्त व्यक्ति है और इसमें सहायक प्रबंधक और वर्धा प्रतिष्ठान के संबंध में ''रेजिडेंट इंजीनियर'' शामिल है।

(स) ''टिकट'' में कार्ड, पास या टोकन शामिल है।

(द) ''कर्मकार'' का अर्थ कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें समय-समय पर प्रबंधन द्वारा ''कर्मकार'' घोषित किया गया है।

स्थायी आदेश क्रमांक. 3 कर्मचारियों को कुछ श्रेणियों में वर्गीकृत करता है और स्थायी आदेश क्रमांक. 4 टिकटों से संबंधित है।

संक्षेप में, यह कहता है कि प्रत्येक कर्मकार, स्थायी या अस्थायी, के पास एक टिकट या कार्ड होगा, और एक प्रशिक्षु के पास एक प्रशिक्षु कार्ड होगा। यह जारी किए गए टिकट या कार्ड तब सरेंडर कर दिए जाएंगे जब कर्मकार को छुट्टी दे दी जाती है या वह उस रोजगार की श्रेणी से बाहर हो जाता है जिसके लिए कार्ड या टिकट जारी किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परिभाषा खंड के तहत ''कर्मकार'' का अर्थ कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियाे से हैं जिन्हें समय-समय पर प्रबंधन द्वारा कर्मकार घोषित किया गया हो और स्थायी आदेश संख्या 4 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक कर्मकार, स्थायी या अस्थायी के पास टिकट होगा। स्थायी आदेश संख्या 16 रोजगार की समाप्ति से संबंधित है, और हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक उसका खंड (1) पूर्ण रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए -

> ''स्थायी कर्मचारी के रोजगार को समाप्त करने के लिए, नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में एक कैलेंडर महीने का नोटिस दिया जाएगा। सेवा समाप्त करने का कारण कर्मचारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा, यदि वह ऐसा चाहता है तो सेवामुक्ति के समय, जब तक कि प्रबंधन की राय में ऐसा संचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी और प्रबंधन को नुकसान न पहुँचाए या कर्मचारी के कहने पर संचार पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आपराधिक या सिविल कार्यवाही के लिए खुला रख सकता है, या कंपनी

के प्रबंध निदेशक संतुष्ट हैं कि कारणों का खुलासा करना कंपनी के व्यवसाय के हित में नहीं है और इसलिए लिखित रूप में आदेश दिया जाता है।''

अब, यह निर्विवादित है कि उत्तरदाता केंद्रीय अधिनियम के अर्थ में एक 'कर्मकार' है और स्थानीय अधिनियम में एक 'कर्मचारी के रूप में परिभाषित है। हमारे सामने विवाद यह है कि क्या वह स्थायी आदेशों के अर्थ में एक 'कर्मचारी है। स्वीकृत रूप से कंपनी द्वारा उतरदाता को कोई टिकट जारी नहीं किया गया था , इसलिए उतरदाता का टिकट नंबर विभागीय मस्टर में शामिल नही हो सकता था । उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने यह अवधारित किया कि नाम और टिकट नंबर शामिल करना स्थायी आदेशों के प्रयोजन के लिए परिभाषित 'कर्मचारी की एक अनिवार्य विशेषता थी, और कार्यालय, मुख्य विभाग, स्टोर में रोजगार का मात्र तथ्य था।, कंपनी का पावर हाउस या रिसीविंग स्टेशन स्थायी आदेशों के अर्थ के तहत किसी नियोजित व्यक्ति को 'कर्मचारी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, और चूंकि

उतरदाता ने अपना नाम और टिकट नंबर शामिल करने की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किया था। विभागीय मस्टर के अनुसार, वह स्थायी आदेशों के अनुसार परिभाषित 'कर्मचारी नहीं था, जो कि उस पर लागू नहीं होता था। अपीलार्थीयों की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि संदर्भ और स्थायी

आदेशों के पूरे भाग को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण सही नहीं है, और एक उचित संरचना पर, नाम और टिकट संख्या को शामिल करना विभागीय मस्टर के लिए किसी 'कर्मचारी की अनिवार्य विशेषता नहीं है जैसा कि स्थायी आदेशों में परिभाषित किया गया है। यह उचित बताया गया है कि यदि टिकट और टिकट नंबर का होना एक 'कर्मचारी की अनिवार्य विशेषता के रूप में लिया जाता है, तो एक' ' और 'कर्मकार' के बीच शायद ही कोई अंतर होता है, क्योकि कर्मकार का अर्थ कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी से है, जिनको समय - समय पर कर्मकार घोषित किया गया हो और स्थायी आदेश संख्या 4 के तहत सभी कर्मकारों के पास टिकट होना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के पास कर्मचारी बनने से पहले टिकट होना चाहिए, और यदि कर्मकार कर्मचारी की ऐसी श्रेणियां हैं जिनके पास टिकट होना चाहिए, तो दोनों के बीच विभेद अदृश्य हो जाता है और यह समझना कठिन है कि दो परिभाषाएं क्यों आवश्यक थीं।

यद्यपि, स्थायी आदेशों के विषय या संदर्भ पर विचार करने पर, उनकी संपूर्णता में और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए, यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि दो परिभाषाएँ क्यों आवश्यक हैं और स्थायी आदेशों में दो वर्गों- 'कर्मचारी और 'कर्मकार' के बीच क्या अंतर है। 'कर्मचारी शब्द एक बड़े समूह को दर्शाता है - अर्थात् सभी व्यक्ति, पुरुष या महिला, जो कंपनी के कार्यालय, मुख्य विभाग, स्टोर, पावर हाउस या रिसीविंग स्टेशन, या तो

नागपुर या वर्धा में कार्यरत हैं।' कर्मकार ' एक छोटे समूह को दर्शाता है, अर्थात कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियां जिन्हें कर्मकार घोषित किया गया है, और जिनके पास टिकट होना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान में ऐसा अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आता है, जहां सुरक्षा और अन्य कारणों से उन लोगों के लिए टिकट या पास की व्यवस्था आवश्यक है जो पावर हाउस या मुख्य विभाग या अन्य स्थानों पर काम करते हैं जहां आवश्यक मशीनरी स्थापित है, जबकि अन्य, जैसे कि लिपिक कर्मचारी, ऐसे कार्यालय भवन में काम कर सकते हैं जहाँ सुरक्षा माँगें या तो नगण्य हैं या बहुत कम आग्रहपूर्ण हैं।

स्थायी आदेशों के प्रयोजन के लिए इस भेद का अर्थ है कि सभी 'कर्मकार' 'कर्मचारी हैं, लेकिन सभी 'कर्मचारी' कर्मकार' नहीं हैं, और विभागीय मस्टर में टिकट संख्या को शामिल करना केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनके लिए टिकट जारी कर दिए गए हैं लेकिन ऐसा समावेशन किसी कर्मचारी की अनिवार्य विशेषता नहीं है।

अब देखे कि क्या ऐसा अंतर समग्र रूप से स्थायी आदेशों के अनुरूप है। स्थायी आदेश संख्या 3, जो कर्मचारियों को वर्गीकृत करता है, खंड (सी) में एक परिवीक्षाधीन को परिभाषित करता है और कहता है कि एक परिवीक्षाधीन का मतलब एक कर्मचारी है, जिसे बारह माह से अधिक की अवधि के लिए परिवीक्षा पर एक स्पष्ट रिक्ति में नियुक्त किया जाता है,

इत्यादि। स्थायी आदेश क्रमांक 4 के अनुसार परिवीक्षाधीन व्यक्ति को टिकट जारी करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी एक परिवीक्षाधीन एक कर्मचारी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थायी आदेश 'कर्मचारियो और 'कर्मकार' के बीच विभेद करते हैं, और ऐसे कर्मचारी भी हो सकते हैं जिनके पास कोई टिकट नहीं है। कुछ स्थायी आदेश केवल कर्मकार पर लागू होते हैं, उदाहरण के लिए, स्थायी आदेश 12,13,14 और 15, अन्य स्थायी आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, चाहे वे कर्मकार हों या न हो। स्थायी आदेश क्रमांक 16 बाद वाली श्रेणी में आता है जो सभी कर्मचारियों पर लागू होता है।

हमारा मानना है कि स्थायी आदेश संख्या 8 (बी) स्थिति को और भी स्पष्ट कर देता है। यह कहता है:-

> ''कोई भी कर्मचारी, जो अपनी उपस्थिति दर्ज करने या अपना टिकट, कार्ड, या टोकन प्रस्तुत करने के बाद, जैसा भी मामला हो, बिना अनुमति या बिना किसी पर्याप्त कारण के काम के घंटों के दौरान अपने उचित कार्यस्थल से अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए वह अनुपस्थित माना जायेगा।''

यदि प्रत्येक कर्मचारी के पास टिकट होना चाहिए, तो यह समझना मुश्किल है कि इस स्थायी आदेश में एक कर्मचारी जो अपनी उपस्थिति दर्ज करता

है और दूसरा जो अपना टिकट, कार्ड या टोकन प्रस्तुत करता है, के बीच अंतर क्यों करना चाहिए। ऐसा अंतर आसानी से समझ में आता है जब कुछ कर्मचारियों के पास टिकट, कार्ड या टोकन नहीं होता है,

जिससे वे केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं जबकि जिनके पास टिकट, कार्ड या टोकन है वे इसे प्रस्तुत करते हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि टिकट जारी करने के मामले में स्थायी आदेश संख्या 4 संपूर्ण नहीं है यह प्रत्येक स्थायी कर्मकार को एक टिकट, प्रत्येक बदली कर्मकार को एक कार्ड, प्रत्येक अस्थायी कर्मकार को एक अस्थायी टिकट और प्रत्येक प्रशिक्षु को एक प्रशिक्षु कार्ड जारी करने की बात करता है। यह पास या टोकन जारी करने का प्रावधान नहीं करता है, हालांकि 'टिकट' की परिभाषा में पास या टोकन शामिल है। आगे सुझाव यह है कि स्थायी आदेश संख्या 2(ए) स्वयं अन्य कर्मचारियों को टिकट जारी करने हेतु अधिकृत करता है, ताकि स्थायी आदेश संख्या 4 के अन्तर्गत कर्मकारों को एक प्रकार के टिकट जारी किए जा सकें और अन्य कर्मचारियों को स्थायी आदेश 2(ए) के तहत अन्य प्रकार के टिकट जारी किए जा सकें। इस दृष्टिकोण पर, यह सुझाव दिया गया है कि स्थायी आदेश संख्या 8(बी) में उल्लिखित विकल्प वास्तव में एक कर्मचारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करने या अपना टिकट प्रस्तुत करने के लिए दिए गए विकल्प के समान हैं। हालांकि, इस तरह के विकल्प की आवश्यकता को समझना कठिन है,

जब प्रत्येक कर्मचारी के पास टिकट होना चाहिए, मुख्यतः जब ऐसे विकल्प का प्रयोग उस उद्देश्य को पूरा करने हेतु संभावित हो जिसके लिए किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में टिकट जारी किए जाते हैं। हालाँकि, हम यह नहीं सोचते हैं कि उत्तरदाता का मामला किसी भी तरह से इस बात से मजबूत होता है कि स्थायी आदेश संख्या 2(ए) स्वयं कर्मकार के अलावा अन्य कर्मचारियों को टिकट जारी करने के लिए अधिकृत करता है। उस संरचना पर भी, स्थायी आदेश संख्या 2(ए) के अन्तर्गत टिकट जारी करने में कंपनी की विफलता कर्मचारियों को कर्मचारी के रूप में उनकी वस्तुस्थिति और स्थायी आदेशों के लाभ से वंचित नहीं करेगा। स्थायी आदेश के अनुसार किसी कर्मचारी के लिये टिकट जारी करना केवल सक्षम प्रावधान है ना कि आवश्यक विशेषता है। इसके अतिरिक्त, स्थायी आदेश संख्या 4 उसके अन्तर्गत जारी किए गए टिकटों को समर्पण करने का प्रावधान करता है, परन्तु स्थायी आदेश संख्या 2 (ए) के तहत , यदि इसे कम्पनी को टिकट जारी करने में सक्षम करने के रूप में माना जाता है, तो कर्मचारी के कर्मचारी न रहने पर टिकट समर्पण करने का कोई प्रावधान नही है। ऐसे टिकटों पर लागू समर्पण के किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति का स्पष्ट अर्थ है कि टिकटों को जारी करने पर स्थायी आदेश संख्या 2 (ए) द्वारा विचार नहीं किया गया है।

उत्तरदाता की ओर से यद्यपि, मुख्य तर्क अलग रूप के रहे है। यह तर्क दिया गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेशों का एक रूप होने

की आवश्यकता नहीं है, और विचाराधीन स्थायी आदेश उन कर्मचारियों तक ही सीमित हैं जिन्हें टिकट जारी किए गए थे, उत्तरदाता जिनके पास कोई टिकट नहीं था, वे उनके दायरे से बाहर थे और परिणामस्वरूप कंपनी ने स्थानीय अधिनियम की धारा 30 में वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है, इस अर्थ में कि उत्तरदाता और उसके जैसे कर्मचारियों के संबंध में कोई स्थायी आदेश नहीं दिया गया था, जिन्हें टिकट जारी नहीं किए गए थे। यह तर्क दिया गया कि, इसलिए उतरदाता के विरूद्ध स्थायी आदेशों के तहत तथा मालिक या नौकर के सामान्य कानून के तहत भी कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। हम इस तर्क को सही नहीं मान पा रहे हैं। हमने बताया है कि स्थायी आदेश स्वयं 'कर्मचारी और 'कर्मकार' के बीच अंतर करते हैं, और जिसके तहत ऐसे कर्मचारी भी हो सकते हैं जिनके पास कोई टिकट नहीं है। यह मानने के लिए कि स्थायी आदेश केवल उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्हें टिकट जारी किए गए हैं, कर्मचारियों को कर्मकार का पर्याय बना देगा - स्थायी आदेश संख्या 2 में दी गई दो अलग-अलग परिभाषाएं नकारात्मक परिणाम देती है। केंद्रीय अधिनियम के साथ-साथ स्थानीय अधिनियम उन मामलों के संबंध में सभी कर्मचारियों के लिए स्थायी आदेश बनाने पर विचार करता है, जिन्हें स्थायी आदेशों द्वारा निस्तारित किया जाना आवश्यक है। विचाराधीन स्थायी आदेशों पर कर्मकार द्वारा दोषपूर्ण या अपूर्ण होने पर आपत्ति नहीं की गई थी, और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और उन्हें उनके विषय या

प्रसंग के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इसके विपरीत बाध्यकारी कारणों के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि वे उन सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनके लाभ के लिए उन्हें बनाया गया है। हमें यह मानने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखता कि स्थायी आदेश उत्तरदाता पर लागू नहीं होते हैं। हमारे विचार में, और स्थायी आदेशों के विषय या संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, स्थायी आदेश संख्या 2(ए) में शब्द "जिनके नाम और टिकट नंबर विभागीय मस्टर में शामिल हैं" किसी भी आवश्यक विशेषता को निर्धारित नहीं करते हैं और यह केवल उन मामलों में लागू होते हैं जहां किसी कर्मचारी को टिकट जारी किए गए थे।

एक कर्मचारी की परिभाषा की आवश्यक सामग्री कंपनी के कार्यालय, मुख्य विभाग आदि में नागपुर या वर्धा में रोजगार है, और एक कर्मकार के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक घोषणा है जो उसे स्थायी आदेश क्रमांक 4 के अन्तर्गत टिकट का हकदार बनाती है।

एक अन्य प्रासंगिक विचार भी है जिसे प्रश्नगत स्थायी आदेशों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्थानीय अधिनियम की धारा 30 नियोक्ता पर अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में स्थायी आदेश बनाने के लिए एक वैधानिक दायित्व लगाती है और वैधानिक दायित्व के उल्लंघन में आपराधिक दायित्व सम्मिलित होता है। ऐसा होने पर, यदि न्यायालय उचित रूप से ऐसा कर सकता है, तो स्थायी आदेशों का अर्थ लगाना उचित

होगा ताकि उन्हें उक्त वैधानिक दायित्व के अनुपालन के अनुरूप बनाया जा सके।

हम इस सिद्धांत से अनभिज्ञ नहीं हैं कि किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की व्याख्या करते समय, उसमें आने वाले प्रत्येक शब्द को उसका उचित अर्थ और महत्व दिया जाना चाहिए। परिभाषा खंड में ऐसी व्याख्या की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन परिभाषा खंड को भी अपना अर्थ संदर्भ या विषय से प्राप्त करना चाहिए। *कॉर्टिस बनाम द केंट वॉटर-वर्क्स कंपनी (')* के मामलें में, विचार के लिए प्रश्न वूलविच के टाउन और पैरिश (47 जियो. III, सेस. 2, कैप. सीएक्सआई) के फर्श, सफाई, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए एक अधिनियम में अपील खंड की व्याख्या थी। कानून के 16 वें खंड के अनुसार, ''आयुक्तों को उन सभी व्यक्तियों या व्यक्तियों पर दरें तय करनी थी, जो पैरिश के भीतर किसी भी भूमि पर कब्जा इत्यादि करते हैं, या करेंगे।'' कानून ने किसी दर से पीड़ित कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों को अपील करने का भी अधिकार दिया, लेकिन अपील खंड के लिए किसी दर के विरूद्ध अपील करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को बंधपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी ;प्रश्न यह था कि क्या इस आवश्यकता का उद्देश्य निगमों को अपील खण्ड के दायरे से बाहर करना था, क्योकि निगमों से आग्रह किया गया था कि वे बंधपत्र प्रस्तुत नही कर सकते है।

अपील खंड की व्याख्या में, न्यायाधिपति बेले ने देखा-

([1]) (1827) बी. और सी. 314 ; 108 ई.आर. 741.

> ''परन्तु यह मानते हुए कि वे बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, फिर भी यदि वे किसी दर से व्यथित होने और उसके विरूद्ध अपील करने में सक्षम व्यक्ति हैं, तो मुझे कहना चाहिए कि खंड का वह हिस्सा जो अपील का अधिकार देता है, वह अपील करने में सक्षम सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, और खंड का दूसरा भाग जिसमें बंधपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो बंधपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम हैं, लेकिन उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो बंधपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं।''

व्याख्या का यही सिद्धांत *पेरुमल गौंडन बनाम थिरुमलारायपुरम जनानुकुला धनशेखर संघ निधि ([1]) में भी लागू किया गया था, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 1 के* स्पष्टीकरण की व्याख्या करता है कि ''एक व्यक्ति एक निर्धन है.....जब वह इस मुकदमें की विषय वस्तु के अलावा व अपने आवश्यक पहनने के परिधान और विषय के अलावा एक सौ रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है ''। प्रश्न यह था कि क्या उपरोक्त प्रावधान कंपनियों पर लागू होता है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

प्रावधान का यह अर्थ लगाना गलत होगा कि व्यक्ति जिसके पास केवल पहनने के परिधान हो, वही व्यक्ति निर्धन के रूप में मुकदमा कर सकता हैं। हमारा विचार है कि संरचना का वही नियम वर्तमान मामले में भी लागू होना चाहिए, और स्थायी आदेश संख्या 2 (ए) में आने वाले शब्द ''जिनके नाम और टिकट नंबर विभागीय मस्टर में शामिल हैं' को इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसे जिनके नाम और टिकट संख्या, यदि कोई हो, विभागीय मस्टर्स में शामिल हैं' और उन कर्मचारियों के मामले में लागू होना चाहिए जो विभागीय मस्टर्स में दर्ज होने में सक्षम हैं उनका इरादा उन कर्मचारियों को बाहर करने का नहीं है जिनके पास टिकट नहीं है या जिन्हें टिकट जारी नहीं किए गए हैं और परिणामस्वरूप जिनके नाम ही दर्ज किए गए हैं।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश इस परिस्थिति से प्रभावित थे कि पूर्व के एक मामले डी.सी. डुंगोरे बनाम एस.एस. डांडिज (विविध याचिका संख्या 134/1954, का निर्णय उसी उच्च न्यायालय द्वारा 23 सितंबर, 1955 को किया गया था) में कंपनी ने यह रुख अपनाया था कि स्थायी आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्हें टिकट जारी किए गए थे - यह वर्तमान मामले में लिए गए आदेश से भिन्न और असंगत है।

([1]) (1917) आई.एल.आर. 41 मद्रास 624.

यद्यपि, यह बताया जा सकता है कि पिछले मामले में डी.सी. डुंगोरे संबंधित अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत एक कर्मचारी नहीं थे, और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में कोई स्थायी आदेश नहीं हो सकता था। इसके अलावा, वैधानिक प्रावधान की संरचना के मामले में विबंध का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है, और विद्वान न्यायाधीशों ने उद्धरित किया था कि उत्तरदाता ने स्वयं सोचा था कि स्थायी आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। हमने स्थायी आदेशों की प्रयोज्यता के बारे में अपना निर्णय स्थायी आदेशों की वास्तविक संरचना पर, जिसमें स्थायी आदेश संख्या 2 ए) में परिभाषा खंड भी शामिल है पर रखा था, इस पर नही रखा था कि अपीलार्थीयों या उत्तरदाता ने एक समय या किसी अन्य पर क्या सोचा था।

हमारा मानना है कि स्थायी आदेश उत्तरदाता पर लागू होते हैं। यह वास्तव में अपील के लिए निर्णायक है, क्योंकि यदि स्थायी आदेश उत्तरदाता पर लागू होते हैं और उसकी सेवा स्थायी आदेश संख्या 16(1) के अनुसार समाप्त कर दी गई है, तो उत्तरदाता द्वारा उच्च न्यायालय में किया गया रिट आवेदन विफल हो जाना चाहिए।

अपीलार्थीयों की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने हमारे समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे और परिधि के बारे में तर्क प्रस्तुत किया कि भले ही उत्तरदाता को उसके निजी नियोक्ता द्वारा गलत तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था, उचित उपाय एक मुकदमे के माध्यम से था, न

कि उच्च न्यायालय के विशेष रिट क्षेत्राधिकार को लागू करके। ये तर्क महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न करते है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें इस मामले में उन पर निर्णय लेना चाहिए।

अंततः, उत्तरदाता की ओर से यह तर्क लिया गया है कि यद्यपि हम मानते हैं कि स्थायी आदेश उत्तरदाता पर लागू होते हैं, हमें उत्तरदाता द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय में प्रति प्रेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न स्थायी आदेश लागू होते हैं या नहीं, इसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक विवाद्यक माना गया था और अन्य बिंदुओं पर कोई निर्णय नहीं दिया गया। हमने उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि उनके रिट आवेदन पर निर्णय के लिए अन्य बिंदु क्या बचे हैं, एक बार जब यह तय किया जा चुका है कि स्थायी आदेश उत्तरदाता पर लागू होते हैं और उसकी सेवा स्थायी आदेश संख्या 16(1) के अनुसार समाप्त कर दी गई है।

विद्वान अधिवक्ता ने तब हमें स्थायी आदेश संख्या 18 का हवाला दिया, जो कदाचार के लिए दंड का प्रावधान करता है, और तर्क दिया कि अपीलार्थीयों द्वारा इसके प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से स्थायी आदेश 18 के खंड (सी) का उल्लेख किया और कहा कि उतरदाता के खिलाफ पारित निलंबन का आदेश उसमें उल्लिखित सुरक्षा उपायों का उल्लंघन था। इस तर्क का संक्षिप्त उत्तर यह है कि स्थायी आदेश

संख्या 18 के अन्तर्गत उत्तरदाता पर कदाचार के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। कंपनी ने निलंबन की तारीख से 31 जनवरी, 1956 तक उत्तरदाता को उनके वेतन का भुगतान किया, जिससे यह भी पता चलता है कि कदाचार के लिए दंड के रूप में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। कंपनी ने स्थायी आदेश संख्या 16 के अनुसार उत्तरदाता की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया, और किसी भी कथित कदाचार के लिए उत्तरदाता के खिलाफ आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा, और कंपनी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थी। जहां तक स्थायी आदेश संख्या 16 का सवाल है, उसकी सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। ऐसी स्थिति होने पर, वर्तमान मामले में निर्णय के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं बचता है।

अतः परिणाम इस प्रकार है कि अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के 26 सितंबर, 1956 के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और उत्तरदाता की रिट याचिका खारिज की जाती है। स्थायी आदेशों के संबंध में अपीलार्थीयों ने पूर्व मामले में जो रुख अपनाया था, उसे ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले में यह कहना उचित समझते हैं कि पक्षकारों को खर्चे स्वयं ही वहन करने होंगे।

अपील स्वीकृत की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटलिजेंस टूल "**सुवास**" की सहायता से अनुवादक **विरेन्द्र कुमार मीणा** (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकारों को उनकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है। इसे अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में नही लिया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।